भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1872

जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मार्च, 2020/13 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक की खपत

1872. श्री लावू श्रीकृष्ण देवरायालू:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2011 से उर्वरक की खपत कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उर्वरक की बढ़ती कीमतों के कारण, उर्वरक की खपत में कमी आई है; और

(ग) क्या सरकार को उर्वरकों की कालाबाजारी के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): उर्वरक खपत का कोई निश्चित रूझान नहीं है जैसाकि **अनुलग्नक-क** में संलग्न आंकड़ों से स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त देश में उर्वरकों की खपत के रूझान का श्रेय केवल उर्वरक कीमतों को नहीं दिया जा सकता है।

किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर प्रदान किया जा रहा है। 45 कि.ग्रा. की यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपये (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) तथा 50 कि.ग्रा. की यूरिया की बोरी का एमआरपी 268 रुपये (नीम लेपन प्रभारों तथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्मगेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों की निवल बाजार प्राप्ति के बीच के अंतर को भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को राजसहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत, वार्षिक आधार पर निर्णीत राजसहायता की एक नियत राशि राजसहायता प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व अवयवों के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य किसानों को इन उर्वरकों को कम कीमत पर उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत उर्वरक कंपनियों द्वारा बाजार गतिशीलता के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर एमआरपी निर्धारत की जाती है। वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक पीएण्डके उर्वरकों की औसत एमआरपी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

(ग): भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 तथा उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 अधिसूचित किए हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी/तस्करी को रोकने के साथ-साथ एमआरपी पर उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। एफसीओ, 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति की तलाशी लेने, माल जब्त करने और उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान की गई है।

उर्वरक वितरण की प्रभावी निगरानी हेतु सभी राज्य सरकारों को सख्त निदेश जारी किए गए हैं और उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमित कदम उठाए जा रहे हैं। कालाबाजारी की जांच करने के लिए खरीफ और रबी के मौसम के दौरान राज्य के सभी जिलों में विशेष छापे भी डाले जाते हैं। राज्य के सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए राज्य और जिला स्तर पर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपूर्ति की निगरानी की जाती है ताकि कृत्रिम कमी पैदा न की जा सके और कालाबाजारी के अवसरों को कम किया जा सके।

****

अनुलग्नक-क

अखिल भारत उत्पाद-वार उर्वरक समूह बिक्री आंकड़े

<आंकड़े लाख मी.टन>

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी	एनपीकेएस	पीएण्डके	समग्र कुल (यूरिया+पीएण्डके)
2011-12	294.77	111.96	29.92	113.98	255.87	550.64
2012-13	301.61	92.30	21.34	77.33	190.97	492.58
2013-14	304.54	69.03	21.92	75.16	166.11	470.65
2014-15	308.74	75.57	27.80	85.98	189.35	498.09
2015-16	319.68	97.47	24.23	92.68	214.39	534.07
2016-17	296.07	88.23	28.21	86.58	203.02	499.10
2017-18	303.31	89.85	31.93	90.75	212.54	515.85
2018-19	320.04	87.35	26.98	95.66	209.99	530.03
2019-20 (जनवरी 2020 तक)	294.18	91.82	23.15	90.42	205.39	499.57

*वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक के लिए बिक्री आंकड़े बिक्री के प्रथम स्थल पर आधारित हैं।

**वर्ष 2018-19 से 2019-20 (जनवरी 2020 तक) बिक्री आंकड़े डीबीटी बिक्री पर आधारित हैं (स्रोत:आईएफएमएस डैशबोर्ड)

***पीएण्डके उर्वरकों के समूह में डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस शामिल है।

अनुलग्नक-ख

क्र.सं.	उर्वरकों की ग्रेड	पोषकतत्व आधारित राजसहायता प्रणाली के तहत उर्वरक कंपनियों द्वारा निर्धारित पीएण्डके उर्वरकों की रुपये/मी.टन में औसत एमआरपी								
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	डीएपी : 18-46-0-0	10150	17749.25	26311	25183.5	24620	25020	23213.26	22099.07	26943.79
2	एमएपी : 11-52-0-0	9950	19400	23150	0	0	0	0		
3	टीएसपी : 0-46-0-0	8057	12528.5	17000	17000	0	0	0		
4	एमओपी : 0-0-60-0	5055	10361	20556	17972	17664	16514.13476	12734.57	11868.36	16188.17
5	16-20-0-13	6765	13661.25	17878	17377.5	18250	17695.8229	17192.06	16599.17	19479.17
6	20–20–0-13	7512.5	14450	21187	21664	21039.975	18591.26257	18241.08	17511.11	19696.06
7	23–23–0-0	7445	एनबीएस नीति में शामिल नहीं है							
8	10–26–26-0	8866.667	14982.25	22189	21683.25	23022.2	22623.34102	21838.58	21628.95	24895.05
9	12–32–16-0	8737	15153.25	22900	22295	22626.125	22632.70983	22055.94	21765.60	25272.41
10	14–28–14-0	लागू नहीं	15989.5	0	0	0	0	0		
11	14–35–14-0	9900	15448.395	22667	22555	23860	24813.73616	23501.78	22791.36	27302.78
12	15–15–15-0	7421	10550	15311	15262.5	17657.25	0	0	18121.93	20092.98
13	एएस: 20.3-0-0-23	8375	9878	11013	11271.25	13285	12947.75	13245.83	13140.18	12824.38
14	20-20-0-0	6609.667	14515.25	21828	16705.75	17281.75	17713.8938	17747.23	16426.46	18291.67
15	28–28–0-0	11181	16190.6125	24086	22782.25	23710	24846.14772	23404.84	22620.00	27341.67
16	17–17–17-0		17710	20578	22715.75	23231.48	22809.05	20997.44	19857.90	22841.67
17	19–19–19-0		18093	19241	20356.90667	16578.75	23071.30116	22271.86	21658.94	24700
18	एसएसपी(0-16-0-11)*	3200	3200	7000	9613.333333	10708.75	7172.821978	7331.33		
19	16-16-16-0	7100	11150	15200	17666.66667	18000	18485.75	17921.97	17799.35	19745.45
20	डीएपी लाइट(16-44-0-0)	लागू नहीं	17090	24333	23428.25	0	0	0		
21	15-15-15-09	6800	13200.25	15000	15335	17095.33333	18388.75	17741.57	17782.53	18400
22	24-24-0-0	7768	12249.5	16466	18136.25	13293.33333	22397.82682	20899.48	20476.30	25019.44
23	24-24-0-8					21000	22141.50066	20614.61	19685.45	24408.33
24	13-33-0-6		17000	एनबीएस नीति में शामिल नहीं है						
25	एमएपी लाइट(11-44-0-0)		17333.33333							
26	डीएपी लाइट-II(14-46-0-0)		17296.66667							

एमआरपी में कर शामिल नहीं हैं।

खाली स्थान/लागू नहीं का अर्थ राजसहायता प्रणाली के तहत उपलब्ध/शामिल नहीं है।